

प्रेषक,

आयुक्त,  
मुरादाबाद मण्डल,  
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिला केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

संख्या 1320 /27- 59 (2008-09) जे०८०

दिनांक : 30-6-2011

विषय :- सूर्योष पब्लिक स्कूल, रामपुर रोड, मुरादाबाद को सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि सूर्योष पब्लिक  
स्कूल, रामपुर रोड, मुरादाबाद विद्यालय को सी०बी०एस०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये  
जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ०५०% माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से भान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ०५०% माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रखता समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ तथा भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमत्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी०बी०एस०इ०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थाएँ सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनियुक्त की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रत्यावर्ती के साथ प्रत्युत्तम भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम भैसिया, परगना, तहसील एवं जिला मुरादाबाद में रिक्त गाटा सं० 222 क्षेत्रफल १.०९२०ह० में से ०.५४६०ह०, गाटा सं० 226 क्षेत्रफल ०.८०६०ह० में से ०.४०३०ह०, गाटा सं० 225 क्षेत्रफल ०.०६५०ह० में से ०.०६०५ह० य गाटा सं० 225क क्षेत्रफल ०.१२१०ह० में से ०.०२२५ह० कुल ०४ किला क्षेत्रफल १.०४२०ह० भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संधालित करने पर यह अनापत्ति रखता समझी जायेगा।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूंक या विधिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र याप्त से ले लिया जायेगा।

भवदीय,

( डॉ गुरदीप सिंह )  
मण्डलायुक्त।

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (भा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आगरा भारतीय विद्यालय उ०५०, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी मुरादाबाद।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- ✓ प्रबंधक, सूर्योष पब्लिक स्कूल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

( डॉ गुरदीप सिंह )  
मण्डलायुक्त।

५०५/ री-०३/ रीबीएससी-प्रमिशन/ रीट-०१

*Khushwant Singh  
(Principal)*

*S. D. S.  
(Manager)*